



सांध्य दैनिक

4PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/4pmNEWSNETWORK)

महत्वपूर्ण हैं।



तकनीक बस एक साधन है।
बच्चों को एक साथ काम
करने और मोटिवेट करने
के लिए, शिक्षक सबसे

मृदुला
३१

-बिल गेट्स

जिद... सच की

• तर्फ़: 9 • अंक: 179 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 4 अगस्त, 2023

फिर चूकीं सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन... | 7 | राजस्थान का रण: गहलोत को दिखानों... | 3 | बसपा की एक सोच समतामूलक... | 2 |

राहुल गांधी को सुप्रीम राहत कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला पलटा

- » सांसदी बहाल, फिर जा सकेंगे संसद
- » कांग्रेस बोली सच्चाई की जीत
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। ऐसी ने मानवानि मामले में राहुल को दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसी के साथ उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी। इस फैसले से कांग्रेस खेम में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं कांग्रेस नताओं ने कहा है कि ये सच्चाई की जीत है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते-जयते हिंद।

इससे पहले जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिंहा और प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने आदेश में कहा कि द्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर सांसद अयोग्य नहीं करार दिया जाता। ऐसी में राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंधवी ने दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क रखे। राहुल की याचिका पीठ ने सुनी। अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था। राहुल ने मोदी सरनेम मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।

सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है : जस्टिस गवई

किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना क्या सजा पर रोक का कोई आधार नहीं है? जस्टिस गवई ने कहा कि ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को छुनता है तो क्या वो क्षेत्र बिना उसके सांसद को उपरिकृति का रहना चाहिए?

जब इस तरह के मामले में अधिकतम सजा दो साल दी गई है? जस्टिस गवई ने कहा कि यह एक प्रासारिक कारण नहीं है कि जो निवाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को छुनता है वह गैर-प्रतिनिधित्व वाला हो जाएगा? द्रायल जन ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है,

जब आप अधिकतम सजा देते हैं तो आप कुछ तर्क देते हैं कि अधिकतम सजा व्यक्ति जीवनी वाले, द्रायल कोर्ट कोई पृथग्युक्ति नहीं, कोर्ट ने कहा कि आप न केवल एक व्यक्ति के अधिकार का बल्कि पूरे निवाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। केवल वह सांसद है, यह सजा निलंबित करने का आधार

नहीं हो सकता, लेकिन वह उन्होंने दूसरे विस्ते को भी छुआ है? हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना बहुत लिलाया है, इस फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए।



“ तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती हैं। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते।

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया था।



केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं : सिंघवी


सिंघवी ने कहा कि नोटी सरनेम और अन्य से संबंधित प्रत्येक मामला भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। यह एक सूनितोगत राजनीतिक अभियान है, इसके पीछे एक प्रेरित टोर्न दिखाता है। द्रायल जन ने कोई आधीरी है, तोवी नहीं है, जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिखाता है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था, उन्होंने एक नीं भुकदमा नहीं किया है, दिलाया गया वात यह है कि 13 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे समुदाय में जी लोग पीड़ित हैं, उन्होंने से केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं, वहा ये बहुत अजीब नहीं है, उस 13 करोड़ की आबादी में न कोई एकरूपता है, न पहचान की एकरूपता है, न कोई सीमा देखा है।

भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया : जेठमलानी

इस मामले में सिंघवी के बाद पूर्णेश मोदी की ओर से मार्दाना जेठमलानी ने बहस शुरू की। महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि सिंघवी ने भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में ढेर सारे सबूत गौजूद हैं, माना गया है कि गौजूद नहीं थे लोकेन उन्होंने इसे यूट्यूब पर देखा और पैन इंडिया में डाउनलोड कर लिया, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने महेश जेठमलानी से एक कि स्पीच के कुछ वाक्य का मिसेंग थे, कुल 50 मिनट का भाषण है, इसकी तीव्र तीव्री पेश की गई थी, दूसरी तीव्री में सूचत है। स्पीच को पूरे देश ने सुना है, राहुल गांधी की स्पीच के बारे में अदालत में बताया गया है, राहुल गांधी का इदाहा नोटी सरनेम वाले गोदी को सिर्फ इसलिए बदल करना था वरोंकि पीछे वीरी वीरी सरनेम लगते हैं।


“ मा. सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आरथा को बढ़ावा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए।

अखिलेश यादव, सपा प्रमुख



“ राहुल गांधी पर मानवानि के मुकदमे में सजा पर रोक करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।

अशोक गहलोत, सीएम राजस्थान



“ धिनोनी साजिश नाकाम.. राहुल गांधी पर झूटे आरोप लगा ए गए थे.. आज खुशी का दिन है.. मैं आज ही लोकसभा अधिकार को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। अधीर रंजन चौधरी, नेता सदन, कांग्रेस



